न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

पीठासीन अधिकारीः– हेमराज गुर्जर (RAS)

मुकदमा नं0:–183/2023 तारीख रजु 22.09.2023

जीसीएमएस आई0डी0:–2023/442

1. कुन्ता पत्नि स्व० सुखराम उम्र 58 साल
2. विजय पुत्र स्व० सुखराम आयु 28 साल
3. लखन पुत्र स्व० सुखराम आयु 26 साल
4. बबलू पुत्र स्व० सुखराम उम्र 24 साल
5. ओमवती पुत्री सुखराम
6. रीना पुत्री स्व० सुखराम
7. सीमा पुत्री स्व० सुखराम
8. मल्ला पुत्री स्व० सुखराम

जाति जाटव निवासी बाजना तहसील हिण्डौन जिला करौली

बनाम

1. रामदयाल पुत्र सुखचन्दी
2. मंगल पुत्र सुखचदी

जाति जाटव निवासी बाजना खुर्द तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान

3. तहसीलदार तहसील हिण्डौन सिटी

प्रार्थना पत्र बावत् अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितिः–1. श्री देवीसिंह वकील सायलान
2. श्री रामभरोसी गोयल वकील गैरसायलान

निर्णय दिनांक 28-2-25

संक्षेप में मामला इस प्रकार है, कि वादीगण द्वारा जरिये वकील वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत पेश किया है कि खाता संख्या 300 व पुराना 282 के अनुसार खसरा नम्वर 1401 रकबा 0.31 ऐयर, 814 रकबा 30 ऐवर. 815 रकबा 31 ऐयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.9200 हेक्टेयर वाके ग्राम बाजना खुर्द तहसील हिण्डौन सिटी में स्थित है। जिसमें सायला सं01 का 1/8 भाग का खातेदार कास्तकार है। तथा इस खाता भूमि के अन्य सह खातेदारान अपने अपने हिस्से के खातेदार कास्तकार है। तथा सायला के पति सुखराम पुत्र सुखचन्द का 1/10 हिस्सा है। खातेदार सुखराम फौत हो चुका है। जिसके वारिसान सायला सं01 विधवा तथा सायलान सं0 2 ता 8 पुत्र पुत्रीया है सायलान के पति पिता के 1/10 भाग में से सायलान प्रत्येक का

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:30:01 IST
Reason: SelfAttested

1/8, 1/8 भाग है। और अपने पति पिता के हिस्से की खातेदारी अपने नाम करवाने के हकदार है।

खाता संख्या नया 135 व पुराना 122 के अनुसार आराजी खसरा नम्वर 1101 रकबा 26 ऐयर, 1102 रकबा 12 ऐयर, 1103 रकबा 12 ऐयर, 1104 रकबा 10 ऐयर, 1129 रकबा 14 ऐयर, 1298 रकबा 16 ऐयर, 1299 रकबा 23 ऐयर, 1304 रकबा 16 ऐयर, 1305 रकबा 16 ऐयर, 1308 रकबा 10 ऐयर, 1309 रका 08 ऐयर कुल 11 कुल रकबा 1.63 हेक्टेयर वाके ग्राम बाजना खुर्द तहसील हिण्डौन जिला करौली में है। जिसमें 1 के पति पिता सुखराम पुत्र सुखचन्दी का 1/20 हिस्सा है। सायलान खातेदार सुखराम फौत हो चुके है। सायलान सुखराम के एक मात्र वारिसान है। सायलान प्रत्येक का अपने पति पिता के 1/20 हिस्सा में से प्रत्येक सायल का 1/8, 1/8 भाग है। और अपने पिता पति के हिस्से को अपने नाम खातेदारी करवाने वो हकदार है तथा इस खाता के गैरसायल सं०1 व 2 व अन्य मूल वाद प्रतिवादीगण सह खातेदारान अपने अपने हिस्सों के खातेदार कास्तकार है।

खाता संख्या नया 122 व पुराना खाता संख्या 112 के अनुसार आराजी खसरा नम्वर 174 रकबा 36 ऐयर, 175 रकबा 39 ऐयर, कुल किता 02 कुल रकबा 0.7400 हेक्टेयर वाके ग्राम बाजना खुर्द तहसील हिण्डौन जिला करौली राज० में स्थित है। जिसमें सायल सं०1 के पति व सायलान नम्वर 2 ता 8 के पिता सुखराम पुत्र सुखचंदी का 1/10 हिस्सा है। खातेदार सुखराम पुत्र सुखचंदी फौत हो चुका है। सायलान अपने पति पिता सुखराम पुत्र सुखचंदी के पत्नि व पुत्र, पुत्रीयों है। और सुखराम के तर्क पर काबिज है। और अपने पति पिता सुखराम के 1/10 भाग को सायलान 1/10 में से 1/8, 1/8 भाग की खातेदारी अपने नाम करवाने के हकदार है। तथा उक्त खाता के गेरसायलान नं01 व 2 तथा अन्य सह खातेदारान अपने अपने हिस्से के खातेदार कास्तकार है।

उपरोक्त आराजीयात मुतजिका मद नम्बर 2 लगायत 4 प्रार्थना पत्र का पूर्व में बाहमी तौर पर सायलान के पति पिता सुखराम पुत्र सुखचंदी के जीवन काल आपस में बाहमी बंटबारा हो चुका है और वादी बाहमी बंटबारे में आयीं आराजीयात भूमि पर मोके पर काबिज व काश्त चला आ रहा है। मौके पर सायलान के हिस्से की जमीन उनके हिस्से अनुसार कम भूमि आयी है। यानि

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:50:01 IST
Reason: SelfAttested

सायलान के हिस्से के मुताविक कम भूमि है। गेरसायलान सं01 व 2 ने सायलान की भूमि दबा रखी है। और रोड साईड की जमीन पर गेरसायल सं01 व 2 ने दबा रखी है। कानूनन अच्छी में से अच्छी बुरी में से पुरी प्रत्येक खातेदार के हिस्से में आती है। लेकिन गैरसायलान नं01 व 2 आये दिन डौल मेंडों पर विवाद करते रहते है। तथा सायलान के हिस्सो की रोड साईड की जमीन में प्लाटिंग करके व जमीन को कृषि से अकृषि में परिवर्तित करने पर आमादा है। और सायलान को उसके हिस्से की जमीन से जबरन बेदखल करने पर आमादा है। सायलान ने कई बार लीगल बंटवारा को निवेदन किया लेकिन हर बार टाल दिया जाता रहा है।

सायलान व गेरसायलान नं01, व 2 व मूल वाद के सह खातेदारान प्रतिवादीगण में आपसी बंटबारा को लेकर विवाद की स्थिति बनी हुयी है। सायलान ने अपनी उक्त जमीन में काफी श्रम खर्च करके काफी उपजाउ बनाया है। सायलान के हिस्से की जमीने वेश कीमती जमीन है। सायलान ने अपने हिस्से की आराजी में वर्तमान में बाजरा की फसल बोयी हुयी है जो कि मौके पर सरसब्ज हालत में खडी हुयी है। इस प्रकार सायलान का प्राईमाफेसी केस बखूबी साबित है।

गेरसायल नम्वर 1 व 2 की नीयत में बदयांति है और गेरसायल नं0 1 व 2 वादी को उसके हिस्से की आराजीयात से जबरन बेदखल करने पर आमादा है। सायलान के हिस्से की भूमि की डौल मेंढो को तोडते रहते है। और बिना विधिवत बंटबारा हुये रहन वय करने पर आमादा है। जिसका गेरसायलान नम्बर 1 व 2 को कोई हक हासिल नहीं है। सायल सं01 के पति सुखराम पुत्र सुखचन्दी व सायलान नम्बर 2 ता 8 के पिता सुखराम पुत्र सुखचन्दी की मृत्यु के बाद विरासत का नामान्तकरण खुलवाने की प्रक्रिया चालू करदी है। जो विचाराधीन है। यह कि घटना दिनांक 10–09–2023 को समय करीब 00 बजे की है कि सायलान उका आराजीयात मंद नं० 2 ता 4 में अपने हिस्से की जमीन में खड़ी फसल की साल संमाल कर रहे थे कि इतने में ही गेरसायल से 01 व 2 मय अपने हमराहियान सायलान की आराजीयात पर हाथो में लाठी, डण्डा र घातक हथियार लेकर आ गये [illegible] ही गैरसायल सं014 2 ने सायलान से कहा कि अब तुम [illegible] जाओ, अब हम कब्जा करेंगे और तुमको जबरन बेदखल कर देगें। और बिना विधिवत बंटवारा के रहन वय

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:30:01 IST
Reason: SelfAttested

कर देगे। तुम्हारी जमीनों में जबरन प्लाटिंग कर कृषि से अकृषि में परिवर्तित कर देगें। सायलान ने गेरसायल सं01 व 2 को काफी समझाया तथा गणमान्य व्यक्तियों से भी समझवाया। लेकिन गेरसायल सं01व 2 अपनी हठधर्मी पर आमादा है तथा अज खुद मानने को तैयार नही है। यदि गेरसायल सं01व 2 अपनी उक्त बेजा हरकतों में सफल हो गया तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी, जिसकी पूर्ति किसी प्रकार से भी संभव नहीं हो सकेगी। इसके बाद सायलान तहसीलदारजी हिण्डौन के यहाँ गये और विधिवत बंटबारा को निवेदन किया तो तहसीलदार जी ने सक्षम अदालत से आदेश लाने को कहा है। इस कारण यह प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गेरसायलान पेश करना आवश्यक हुआ।

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन है कि गेरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा इस प्रकार से पाबद किया जावे कि दौराने दावा गेरसायल सं०1व 2 सायलान को आराजीयात मुतजिका मद नं0 2 प्रार्थना पत्र ख० न० 1401 814. 815 कुल किता 3 कुल रकबा 0.92 हेक्टेयर वाके ग्राम बाजना खुर्द तहसील हिण्डौन में में सायल नं01 के 1/8 हिस्से व वादीगण के पति व पिता सुखराम पुत्र सुखचंदी के 1/10 भाग तथा मद नं० ३ प्रार्थना पत्र ख०नं० 1101. 1102, 1103, 1104, 1129, 1298, 1299, 1304, 1305, 1308, 1309 कुल किता 11 कुल रकबा 1.63 हेक्टेयर वाके ग्राम बाजना खुर्द तहसील हिण्डौन में सायलान के पति पिता सुखचंद पुत्र सुखचंदी के 1/20 भाग, मद नं04 प्रार्थना पत्र ख0नं0 174, 175 कुल किता 2 कुल रकबा 0.74 हेक्टेयर वाके ग्राम बाजना खुर्द तहसील हिण्डौन में में सायलान के पति व पिता सुखराम पुत्र सुखचंदी के हिस्से 1/10 भाग की भूमि को सायलान को शांति पूर्वक उपयोग उपभोग कास्त करने देवे। सायलान को जबरन बेदखल नही करे। बिना विधिवत बंटबारा के रहन वय नहीं करे। कृषि से अकृषि में परिवर्तित नहीं करे। सायलान को शांति पूर्वक उपयोग उपभोग कास्त करने देवे। कोई दखलन्दाजी नहीं करे। तथा गेरसायल सं01 व 2 ऐसा कोई कार्य नातो स्वयं करे नाही किसी अन्य से करावे जिससे हकूक सायलान व सायलान की उक्त आराजीयात को कोई क्षति पहुंचती [illegible]। कोई व मौक की स्थिती यथावत बनाये रखे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:50:01 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तबल किया गया। गैरसायलान न0 1 व 2 की ओर से को श्री रामभरोसी गोयल अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया एवं आदेशिका दिनांक 20.05.2024 से जबाब पेश किया जो निम्नानुसार है:–

1. प्रार्थना पत्र के मद न0 1 में सायलान द्वारा गैरसायलान के विरूद्ध कतई गलत एवम झूंठा दावा इस्तकरारहक तकास्मा एवम स्थायी निषेधाज्ञा पेश करना स्वीकार है।
2. प्रार्थना पत्र के मद न0 2 में दर्ज आराजीयात सायलान एवम गैरसायलान की संयुक्त खातेदारी के मुताबिक जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार होना स्वीकार है।
3. प्रार्थना पत्र के मद न0 3 में दर्ज आराजीयात सायलान एवम गैरसायलान की संयुक्त खातेदारी में मुताबिक जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार होना स्वीकार है।
4. प्रार्थना पत्र के मद न0 4 में दर्ज आराजीयात सायलान एवम गैरसायलान की संयुक्त खातेदारी में दर्ज होना स्वीकार है।
5. प्रार्थना पत्र के मद न0 5 जिस प्रकार से तहरीर किया गया है, गलत होने के कारण अस्वीकार है। आराजीयात मुतजिक्रा मद न0 2, 3, 4 का बंटवारा पूर्वजों के समय ही हो गया था, तथा सभी पक्षकारान बाहमी बंटवारा से हिस्से में आयी भूमि पर पूर्वजों के समय से निरंतर काबिज काश्त चले आ रहे है। प्रार्थी गैरसायलान के बहामी बंटवारा मे आयी भूमि की पूर्वजों के समय से ही अलग डौल मेंड हो रही है, तथा प्रार्थीगण गैरसायलान से काफी श्रम व पैसा लगाकर अपनी भूमि को उपजाउ बना लिया है। सायलान के हिस्से एवम कब्जा में बाहमी बंटवारा से आयी हुयी पूरी भूमि मौजूद है। सायलान के हिस्सा में कम भूमि नहीं है, तथा गैरसायालन नंबर 1 व 2 ने सायलान की भूमि नहीं दबा रखी है, अब जमीनों की कीमते बढ जाने के कारण सायलान के दिल में बदयांति आ गयी है, तथा सायलान ने दावा व प्रार्थना पत्र हाजा प्रार्थी गैरसायलान को परेशान करने ... बाहमी अंटवारा में आयी भूमि जिसे गैरसायलान ने श्रम व पैसा लगाकर उपजाउ बना लिया है उसे हडपने के लिये गलत तथ्य दर्ज करके दावा व प्रार्थना

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:50:01 IST
Reason: SelfAttested

पत्र हाजा पेश कर लिये है। मौके पर सायलान एवम गैरसायलान पूर्वजों के समय हुये बाहमी बंटवारे में आयी भूमि पर शांति पूर्वक काबिज काश्त चले आ रहे है, आपस में कोई विवाद नहीं है।

6. प्रार्थना पत्र का मद न0 5 गलत होने के कारण अस्वीकार है। सायलान व गैरसायलान 1 व 2 व अन्य सह खातेदारान के मध्य बंटवारा को लेकर मौके पर कोई विवाद नहीं है, सभी शांतिपूर्वक पूर्वजों के समय से हुये बाहमी बंटवारा के अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे है। सायलान का कोई प्राइमाफेसी केस साबित नहीं है, बल्कि प्राईमाफेसी केस गैरसायलान के पक्ष में है।

7. प्रार्थना पत्र का मद न0 7 गलत होने के कारण अस्वीकार है, गैरसायलान नम्बर 1 व 2 सायल को उसके हिस्से की आराजीयात से जबरन बेदखल करने पर आमदा नहीं है। सायल एवम गैरसायलान के हिस्से की भूमि की मौके पर अलग अलग डौल मेंढ हो रही है।

8. प्रार्थना पत्र का मद न0 8 गलत होने के अस्वीकार है। दिनांक 10.09. 2023 को सायलान एवम गैरसायलान के मध्य किसी प्रकार की कोई कहनसुन नहीं हुयी नाही प्रार्थी गैरसायलान ने किसी प्रकार की कोई धमकी ही दी विवादग्रस्त भूमि में प्रार्थी गैरसायलान कोई प्लाटिंग कर कृषि भूमि से अकृषि में परिवर्तित नहीं कर रहे है। इस मद में गलत तथ्य दर्ज किये गये है। सायलान कोई अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी। सुविधा का संतुलन के पक्ष में ना होकर गैरसायलान के पक्ष में है।

जबाब शामिल किया गया। आदेशिका दिनांक 20.05.2024 से गैरसायल न0 3 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं इनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी।

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत 2071–74 खाता संख्या 300, जमाबंदी संवत 2071–74 खाता संख्या 135, जमाबंदी संवत 2071–74 खाता संख्या 122 वाके ग्राम बाजनाखुर्द तहसील हिण्डौन पेश किये है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:30:01 IST
Reason: SelfAttested

उभयपक्ष वकील उपस्थित। उभयपक्ष वकील की बहस सुनी गई। वकील सायलान ने दौराने बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया और कहा गया कि दौराने दावा गेरसायल सं० 1 व 2 सायलान को आराजीयात

मुतजिका मद नं0 2 प्रार्थना पत्र ख० न० 1401 814. 815 कुल किता 3 कुल रकबा 0.92 हेक्टेयर वाके ग्राम बाजना खुर्द तहसील हिण्डौन में में सायल नं01 के 1/8 हिस्से व वादीगण के पति व पिता सुखराम पुत्र सुखचंदी के 1/10 भाग तथा मद नं० ३ प्रार्थना पत्र ख०नं० 1101. 1102, 1103, 1104, 1129, 1298, 1299, 1304, 1305, 1308, 1309 कुल किता 11 कुल रकबा 1.63 हेक्टेयर वाके ग्राम बाजना खुर्द तहसील हिण्डौन में सायलान के पति पिता सुखचंद पुत्र सुखचंदी के 1/20 भाग, मद नं04 प्रार्थना पत्र ख0नं0 174, 175 कुल किता 2 कुल रकबा 0.74 हेक्टेयर वाके ग्राम बाजना खुर्द तहसील हिण्डौन में में सायलान के पति व पिता सुखराम पुत्र सुखचंदी के हिस्से 1/10 भाग की भूमि को सायलान को शांति पूर्वक उपयोग उपभोग कास्त करने, सायलान को जबरन बेदखल नही करने, बिना विधिवत बंटबारा के रहन वय नहीं करने, कृषि से अकृषि में परिवर्तित नहीं करने। सायलान को शांति पूर्वक उपयोग उपभोग कास्त करने, कोई दखलन्दाजी नहीं करने तथा गेरसायल सं01 व 2 ऐसा कोई कार्य नातो स्वयं करे नाही किसी अन्य से करावे जिससे हकूक सायलान व सायलान की उक्त आराजीयात को कोई क्षति पहुंचती हो। रिकोर्ड व मौक की स्थिती यथावत बनाएँ रखने का निवेदन किया। गैरसायलान वकील ने दौराने बहस में जबाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया और कहा गया कि आराजीयात मुतजिक्रा मद न0 2, 3, 4 का बंटवारा पूर्वजों के समय ही हो गया था, तथा सभी पक्षकारान बाहमी बंटवारा से हिस्से में आयी भूमि पर पूर्वजों के समय से निरंतर काबिज काश्त चले आ रहे है। प्रार्थी गैरसायलान के बहामी बंटवारा मे आयी भूमि की पूर्वजों के समय से ही अलग डौल मेंड हो रही है, तथा प्रार्थीगण गैरसायलान से काफी श्रम व पैसा लगाकर अपनी भूमि को उपजाउ बना लिया है। सायलान के हिस्से एवम कब्जा में बाहमी बंटवारा से आयी हुयी पूरी भूमि मौजूद है। सायलान के हिस्सा में कम भूमि नहीं है, तथा गैरसायालन नंबर 1 व 2 ने सायलान की भूमि नहीं दबा रखी है, अब जमीनों की कीमते बढ जाने के कारण सायलान के दिल में बदयांति आ गयी है, तथा सायलान ने दावा व प्रार्थना पत्र हाजा प्रार्थी गैरसायलान को परेशान एवम उनके बाहमी अंटवारा में आयी भूमि जिसे गैरसायालन ने श्रम व पैसा लगाकर उपजाऊ बना लिया है उसे हडपने के लिये गलत तथ्य दर्ज करके दावा व प्रार्थना पत्र हाजा पेश कर लिये है। मौके पर सायलान एवम गैरसायलान पूर्वजों के समय हुये बाहमी बंटवारे में

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:50:01 IST
Reason: SelfAttested

आयी भूमि पर शांति पूर्वक काबिज काश्त चले आ रहे है, आपस में कोई विवाद नहीं है। सायल का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण में उभयपक्ष वकील की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी संवत 2071–74 खाता संख्या 300, जमाबंदी संवत 2071–74 खाता संख्या 135, जमाबंदी संवत 2071–74 खाता संख्या 122 वाके ग्राम बाजनाखुर्द तहसील हिण्डौन जिला करौली का अवलोकन किया गया तो हम इस नतीजे पर पहुंचे कि उक्त आराजीयात के सायलान व गैरसायलान न0 1 व 2 सहखातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है। सायलान की दौराने दावा पेचिदगियॉ पैदा नहीं हों, मौके एवं रिकॉर्ड की स्थिति में परिवर्तन एवं अनावश्यक वादकरण बढने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र सायलान खिलाफ गैरसायलान बाबत राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत प्रकरण में दिनांक 22.09.2023 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल दावे के ताफैसला होने तक स्वीकार किया जाता है कि गैरसायलान विवादित आराजी खसरा न0 1401, 814, 815, 1101, 1102, 1103, 1104, 1129, 1298, 1299, 1304, 1305, 1308, 1309, 174, 175 वाके ग्राम बाजनाखुर्द तहसील हिण्डौन में रिकॉर्ड एवं मौका की यथास्थिति ताफैसला दावा तक बनाये रखें।

आदेश आज दिनांक 28/07/25 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर) 28/07/25
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:30:01 IST
Reason: SelfAttested